कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर

क्रमांक : 1107 *दिनांक : 15.07.2014*

विज्ञप्ति

सवाई माधोपुर न्यायक्षेत्र के जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 26 पद रिक्त हैं एवं 03 पद भविष्य में रिक्त होने है इस प्रकार कुल 29 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। जिनमें से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 05, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 03 पद आरक्षित हैं तथा शेष 18 + 03 (भविष्य में रिक्त होने वाले) कुल 21 पद सामान्य (Gen) वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाने हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे–बेण्ड PB-1 5200-20200 ग्रेड पे–1700/– प्रतिमाह में, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना एफ–14(1) एफ.डी.(रूल्स)/2013 दिनांक 28.06.2013 के नियम 21 के अन्तर्गत दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400/– रूपये प्रतिमाह (प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत पारिश्रमिक पर उक्त रिक्त पदों पर भर्ती/नियुक्ति हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 (अद्यतन संशोधित) के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या एवं श्रेणी में कमी या वृद्धि सम्भव है। रिक्त पदों अथवा भविष्य में रिक्त होने वाले पदों में से किसी भी पद को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तर जिला स्थानान्तरण, अधिशेष कर्मचारीगण से समायोजित करके भरा जा सकता है।

प्रशासनिक कारणों से इन पदों को घटाया/बढ़ाया जा सकता है। महिला, निःशक्तजन एवं अन्य आरक्षण के पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

अभ्यर्थियों के लिए निम्न योग्यता/शर्तें लागू रहेंगी :–

1. **आयु** :–

   आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष के कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी/भू.पू.सै./अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./महिला/विधवा महिला/विवाह विच्छिन्न महिला आदि वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

2. **शैक्षणिक योग्यता** :–

   उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागिरी लिपि में हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए।

3. **शारीरिक योग्यता** :–

   आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय आवेदक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. **पेंशन योजना एवं स्थाई परितोषण** :–

   राज्य सरकार के आदेश क्रमाक एफ. 15(7) एफ.डी.(रूल्स) 97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12 (8) एफ.डी. (रूल्स)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत, नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले आवेदक पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेण्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण पर सभी नये नियम लागू होंगे।

5. **राष्ट्रीयता** :–

   आवेदक भारत का नागरिक हो, अथवा उक्त नियम 11 के अनुसार अर्हता रखता हो।

6. **आवेदन पत्र** :–

   आवेदक को सादा कागज पर अपना प्रार्थना पत्र सुस्पष्ट लेखन में अथवा टंकित किया हुआ संलग्न प्रारूपानुसार प्रस्तुत/प्रेषित करना होगा।

7. **विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र** :–

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प. 7 (3) कार्मिक क–2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदन पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें अथवा जिन आवेदकों का विवाह दिनांक 22.05.2006 से पूर्व हुआ है अथवा अविवाहित है तो संलग्न प्रारूप प्रपत्र 06 में अंकित प्रारूप में नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करें।

8. **संतान संबंधी शपथ पत्र** :–

जिन आवेदक के दिनांक 01.06.2002 को या इसके उपरान्त दो से अधिक संतानें हों वे आवेदन करने के पात्र नहीं है, परन्तु दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 01 जून 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है। परन्तु यह और कि यहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्‌वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा। अतः समस्त विवाहित आवेदक (स्त्री/पुरूष) उक्त आशय का नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र, प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न करें।

9. **दहेज न लेने बाबत्‌ शपथ–पत्र** :–

कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी। यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। अतः अभ्यर्थी को इस आशय का नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

10. **एक से अधिक पति/पत्नी न होने बाबत्‌ शपथ पत्र** :–

कोई भी पुरूष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। अतः अभ्यर्थी को इस आशय का नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

11. **दोष सिद्ध न होने के संबंध में शपथ–पत्र** :–

प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र के साथ इस आशय का नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगें कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि लंबित है तो उसका विवरण शपथ पत्र में प्रस्तुत करेंगें।

12. **चरित्र** :–

आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे ऐसे दो प्रमाण–पत्र जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छः माह से अधिक पूर्व के जारी न हो, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके रिश्तेदार न हो ।

13. **जाति प्रमाण–पत्र** :–

आरक्षण के लाभ लेने के संबंध में आवेदक को अपने जाति प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करनी आवश्यक है।

14. **आवेदन पत्र की अंतिम तिथि** :–

आवेदन पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से दिनांक **07.08.2014** तक किसी भी कार्य दिवस में, कार्यालय समय में, **कार्यालय जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर** में प्राप्त हो जाने चाहिऐ। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार/विचार नहीं किया जावेगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जावेगा।

15. **साक्षात्कार** :–

(अ) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर साक्षात्कार योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की सूची दिनांक **17.08.2014** को जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी। साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक **13.09.2014** को **प्रातः 11:00 बजे** से जिला

न्यायालय परिसर में लिया जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से जारी नहीं की जावेगी। उक्त दिवस को सभी आवेदकों के साक्षात्कार पूर्ण न होने की स्थिति में शेष रहे आवेदकों के साक्षात्कार अगले कार्य दिवस को उक्त स्थान पर ही लिया जावेगा, जिसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी, पृथक से सूचना किसी भी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी। किसी भी आवेदक को साक्षात्कार हेतु यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। आवेदक जिन प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां आवेदन के साथ संलग्न करें वे उनके मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवें।

(ब) अंतिम परिणाम दिनांक **20.09.2014** को जारी किया जावेगा, जिसकी सूचना जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। अभ्यर्थियों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

(स) साक्षात्कार में किसी प्रकार की सिफारिश करने/कराने वाले आवेदक को इसके अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा तथा उनका साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।

(द) साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, जिसकी पृथक से सूचना किसी भी आवेदक को नहीं दी जावेगी।

(य) साक्षात्कार में भाग लेने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता आदि इस कार्यालय द्वारा नहीं दिया जावेगा।

16. राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी सेवा शर्तो आदि बाबत् पत्र/परिपत्र नियमानुसार मान्य होंगे।

17. आवेदक को आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ एवं शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है :–

(1) स्वयं का एक पासपोर्ट साईज फोटो, स्वयं के हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र पर चस्पा होना चाहिए।

(2) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र की सत्यापित छाया प्रति।

(3) जन्म तिथि प्रमाण–पत्र की सत्यापित छाया प्रति।

(4) रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण चाहने, आयु में छूट चाहने के इच्छुक आवेदक के जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छाया प्रति।

(5) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र मूल (जो आवेदन की दिनांक से छः माह से अधिक पुराने नहीं हों)

(6) उक्त क्रमांक 7, 8, 9, 10 एवं 11 के अनुरूप विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/घोषणा पत्र

सदस्य 15/7/14
च0श्रे0कर्मचारी भर्ती समिति,
जिला एवं सैशन न्यायालय,
सवाई माधोपुर

अध्यक्ष,
च0श्रे0कर्मचारी भर्ती समिति,
जिला एवं सैशन न्यायालय,
सवाई माधोपुर

क्रमांक : स्था0/1108-62

दिनांक : 15.07.2014

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर,
2. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर।
3. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, ...
4. समस्त पीठासीन अधिकारी न्यायक्षेत्र, सवाई माधोपुर।
5. जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।
6. जिला नियोजन अधिकारी, सवाई माधोपुर।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

7. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर
8. आदेश/सम्बन्धित पत्रावली।

अध्यक्ष,
च0श्रे0कर्मचारी भर्ती समिति,
जिला एवं सैशन न्यायालय,
सवाई माधोपुर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक स्वयं का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करे।

1. नाम
2. जन्म तिथि
   (अंको में)
   शब्दों में
   दिनांक 01.01.2015 को आयु
3. पिता / पति का नाम
4. वर्तमान पता :
   स्थाई पता :
5. प्रवर्ग सामा. अ.जा. अ.ज.जा. अ.पि.व. अन्य
   (संबंधित को टिक करें)
6. शैक्षिक अर्हता (शैक्षिक योग्यता)
7. राष्ट्रीयता
8. वर्तमान नियुक्ति, यदि कोई हो, पद, सेवा की अवधि और पदनाम
9. निकटस्थ पुलिस स्टेशन

(आवेदक के हस्ताक्षर)

-X-X-X-X-

(प्रपत्र – 6) शपथ पत्र

मै..श्री / सुश्री / ....पुत्र / पुत्री / श्रीमति................................ ....निवासी...शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमति / श्री..निवासी.. के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीकरण लागू होने से पूर्व दिनांक .... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमति / श्री.........................निवासी...के साथ दिनांक.....................................को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मै ....अविवाहित हूँ।

या

मै ....विधुर / विधवा हूँ पत्नी / पति श्री / श्रीमति........................)

हस्ताक्षर शपथकर्ता